UPBR010113162022

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–02, बरेली।
उपस्थितः देवाशीष (एच0जे0एस0)
दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–369/2022

1. मैसर्स आहूजा गुड्स कैरियर प्रा0 लि0, नैनीताल रोड, सिविल लाईन्स, रामपुर (यू0पी0) द्वारा अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अमरजीत सिंह आहूजा।

.....पुनरीक्षणकर्ता।

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर, बरेली।
2. मैसर्स सारनाथ मोटर्स, 35–आई–1/ए, रामपुर गार्डन, थाना कोतवाली, जिला बरेली द्वारा श्री रवि अग्रवाल।

.....विपक्षीगण।

थाना–कोतवाली, जिला–बरेली।

निर्णय

1. दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत हुई। न्यायालय में उपस्थित पक्षकारों को दाण्डिक पुनरीक्षण पर सुना जा चुका है। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है।

2. प्रश्नगत दाण्डिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मुख्यतः विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–8, बरेली द्वारा वाद सं0–1277/2010, अंतर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट, रवि अग्रवाल बनाम अमरजीत सिंह आहूजा, थाना कोतवाली, बरेली के मामले में पारित आदेश दिनांकित 22.10.2010 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी।

3. पुनरीक्षण याचिका में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा लिये गये प्रमुख आधार यह है कि आक्षेपित आदेश दिनांकित 22.10.2010 विधिक प्रक्रियाओं तथा पराक्रम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों में पारित नहीं किया गया है। विवादित चेक दिनांकित 26.03.2010 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त चैक व्यक्तिगत हैसियत में निगरानीकर्ता को नहीं दिया गया था जिस कारण एन0आई0 एक्ट की धारा 141 के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण में लागू होते हैं। उक्त प्रावधान के आलोक में यह स्पष्ट है कि मैसर्स आहूजा गुड्स कैरियर प्रा0 लि0 को मुख्य अभियुक्त बनाया जाना चाहिए था। यह भी कथन किया गया है कि परिवाद में कथित नोटिस भेजे जाने व प्राप्त होने की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है।

4. यह भी कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गलत पते पर गैर जमानती अधिपत्र निर्गत किये गये हैं। वास्तविकता यह है कि श्री रवि अग्रवाल तथा अमरजीत सिंह मित्र थे तथा सन् 2015 से 2019 के मध्य रवि अग्रवाल द्वारा कई बार फोन किये गये परंतु प्रश्नगत मामले के सम्बन्ध में उनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया। अतः उपरोक्त आधारों पर आक्षेपित आदेश दिनांकित 22.10.2010 अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा पुनरीक्षण के समर्थन में प्रलेखीय दस्तावेज दाखिल किये गये जिनका अवलोकन किया।

6. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनरीक्षण याचिका में लिये गये आधारों का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का भलीभांति परिशीलन करने के उपरान्त पुनरीक्षणकर्तागण को धारा 138 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 22.10.2010 पुष्ट किये जाने योग्य है।

7. प्रस्तुत पुनरीक्षण को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अभियुक्त अमरजीत सिंह आहूजा, मै0 आहूजा गुड्स कैरियर, प्रा0 लि0, सिविल लाईन्स नैनीताल रोड, रामपुर, उ0प्र0 ने दिनांक 10.06.2008 को लिखित रूप से अपने हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र से परिवादी से रू0 15,00,000/– रूपये का ऋण अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवेदन किया जिसको परिवादी ने स्वीकार करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 15,00,000/– रूपये का चैक चैक सं0–015167 दिनांक 11.06.2008 जो आहूजा गुड्स कैरियर प्रा0 लि0 के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा, श्यामगंज ब्रां0 बरेली का था, को परिवादी से अभियुक्त ने प्राप्त करके उपरोक्त चैक बैंक से कैश करा लिया। अभियुक्त अमरजीत सिंह आहूजा ने ऋण प्राप्त करने के अपने उपरोक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपनी उपरोक्त कंपनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की दिनांक 30.08.2008 को सम्पन्न मीटिंग का रेज्यूलेशन भी परिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उपरोक्त अभियुक्त अमरजीत सिंह आहूजा को ही विधिवत् उपरोक्त ऋण परिवादी से प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा ऋण प्राप्त करने के लिए समस्त कागजात तैयार करके परिवादी को देने के लिए अधिकृत किया गया था जो कि अभियुक्त ने ऋण प्राप्त करने के लिए सारे कागजात खुद तैयार करके परिवादी के समक्ष प्रस्तुत किये। उपरोक्त अभियुक्त अमरजीत सिंह आहूजा ने उपरोक्त ऋण अदायगी के लिए एक चैक 138868 दिनांक 26.03.2010 कुल रकम 21,37,760/– रूपये जो पंजाब नेशनल बैंब की सिविल लाईन्स, रामपुर शाखा का था जो सारनाथ मोटर्स के नाम से जारी करके परिवादी द्वारा दी गयी कुल रकम तथा दिनांक 31.03.2010 तक के ब्याज का था, परिवादी को दिया। परिवादी ने उपरोक्त चैक का भुगतान प्राप्त करने के लिए चैक को अपनी बैंक की शाखा में प्रस्तुत करने से पहले अभियुक्त को एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 05.05.2010 के द्वारा सूचना दी कि परिवादी अभियुक्त द्वारा दिये गये उपरोक्त चैक को बैंक में डालने जा रहा है। अभियुक्त अपने खाते में चैक के भुगतान हेतु रकम की व्यवस्था कर लें। इसी सूचना वाले पत्र की प्रति परिवादी ने अमरीक सिह आहूजा, मैनेजिंग डायरेक्टर आहूजा गुड्स कैरियर, प्रा0 लि0 को भेज दी थी। परिवादी ने उपरोक्त अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक सं0 138868 जो दिनांक 26.03.2010 का था, अपनी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्यामगंज ब्रांच बरेली में भुगतान प्राप्त करने हेतु जमा किया जो दिनांक 13.05.2010 को बगैर भुगतान हुये चैक बाउंस होकर एक मेमारेन्डम के साथ मिला जिसमें चैक कैश न होने के कारण "FUNDS INSUFFICIENT" लिखा हुआ भेजा गया है। परिवादी ने बाउंस चैक प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 24.05.2010 को लिखित नोटिस के द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को चैक बाउंस होने की सूचना दी तथा परिवादी ने अपना बाउंस चैक का रूपया रू0 21,37,760/– को नोटिस प्राप्त होने के अन्दर 15 दिन भुगतान करने को कहा लेकिन उपरोक्त अभियुक्त ने दिनांक 09.06.2010 तक परिवादी को चैक बाउंस की रकम को अदा नहीं किया।

8. परिवादी द्वारा धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी द्वारा आहूजा गुड्स कैरियर प्रा0 लि0 के पत्र दिनांकित 10.06.2008 तथा 08.06.2008, सारनाथ मोटर्स द्वारा अभियुक्त अमरजीत सिंह अहूजा को प्रेषित पत्र दिनांकित 05.05.2010, मूल चेक सं0 138868 दिनांकित 26.03.2010, अनाद्धृत मेमो दिनांकित 13.05.2010, विधिक नोटिस दिनांकित 24.05.2010, जवाब नोटिस दिनांकित 01.06.2010, मूल डाक रसीदें दिनांकित 15.12.2010 की गयी है।

9. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद तथा साक्ष्य अंतर्गत धारा 200

एवं 202 दं0प्र0सं0 का परिशीलन करने के उपरान्त 22.10.2010 को विपक्षी अमरजीत सिंह को अंतर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट जरिये समन विचारण हेतु तलब किया गया जिसे इस पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी गयी है।

10. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत तलबी आदेश को अपास्त किये जाने का मुख्य आधार यह लिया गया है कि परिवादी द्वारा मैसर्स आहूजा गुड्स प्रा0 लि0 को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा पक्षकार न बनाये जाने के कारण सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित है।

11. तलविदा पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0 4ख/1 दिनांकित 10.06.2008 के अवलोकन से प्रकट होता है कि श्री रवि अग्रवाल को सम्बोधित पत्र मैसर्स आहूजा गुड्स कैरियर प्रा0 लि0 द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त पत्र द्वारा 15 लाख रूपये के ऋण की याचना की गयी है। उपरोक्त पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि 15 लाख रूपये मैसर्स आहूजा गुड्स कैरियर प्रा0 लि0 द्वारा लिया गया है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में भी मैसर्स आहूजा गुड्स कैरियर प्रा0 लि0 को ही पक्षकार बनाया गया है। यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि तलविदा पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0 4ख/2 दिनांकित 08.06.2008 के अवलोकन से विदित होता है कि मैसर्स आहूजा गुड्स कैरियर प्रा0 लि0 द्वारा श्री अमरजीत सिंह आहूजा, जो कि कंपनी के निदेशक भी हैं, को ऋण लेने हेतु अधिकृत किया गया है। उपरोक्त दोनो प्रपत्रों के आलोक में तथा परिवाद पत्र में मैसर्स आहूजा गुड्स कैरियर प्रा0 लि0 को जरिये अमरजीत सिंह आहूजा पक्षकार बनाया गया है तथा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति उपरोक्त विमर्श के अलोक में बलहीन है।

12. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी याचिका के माध्यम से तथा दौरान बहस यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परिवाद पत्र में नोटिस निर्गत किये जाने की तिथि तथा नोटिस प्राप्त होने की तिथि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। परिवाद पत्र के प्रस्तर 6 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादी द्वारा चैक अनादृत होने के उपरान्त दिनांक 24.05.2010 को लिखित नोटिस प्रेषित की गयी थी तथा दिनांक 09.06.2010 तक धनराशि अदा न किये जाने के उपरान्त परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

13. तलविदा पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0 8ख/1 नोटिस दिनांकित 24.05.2010 उपलब्ध है जिसमें परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मु0 21,37,760/– रूपये नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अदा किये जाने का उल्लेख किया गया है। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त नोटिस की तामीला नहीं है परंतु पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0 10ख/7 दिनांकित 01.06.2010 के अवलोकन से यह विदित होता है कि श्री अमरजीत सिंह आहूजा, डायरेक्टर द्वारा मैसर्स आहूजा गुड्स कैरियर प्रा0 लि0 नोटिस दिनांकित 24.05.2010 का जवाब है जिसमें दयनीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए समय की याचना की गयी है। इससे यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांकित 24.05.2010 निगरानीकर्ता को प्राप्त हो गयी थी। नोटिस दिनांकित 24.05.2010 के प्राप्त होने के 15 दिन पश्चात् परिवादी द्वारा परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया जो पूर्णतः विधिक प्रावधानों के अनुक्रम में है। अतः नोटिस के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया तर्क भी बलहीन होने के कारण स्वीकार होने योग्य नहीं है।

14. प्रस्तुत प्रकरण में यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित तलवी आदेश में मात्र यह देखा जाना है कि विपक्षी को तलब किये जाने सम्बन्धित आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि है अथवा नहीं तथा यह भी देखा जाना है कि प्रश्नगत आदेश पारित किये जाते समय विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारित का प्रयोग विधितः किया गया है अथवा नहीं।

15. प्रस्तुत पुनरीक्षण पर निष्कर्ष दिये जाने से पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **श्रीमती नगावा बनाम वीरन्ना शिव लिगप्पा कुंजलगी तथा अन्य ए0आई0आर0 1976 (एस0सी0) 1947** को उद्धृत किया जाना समीचीन होगा। उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के अंतर्गत अभियुक्त को आहूत किये जाने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को मात्र निम्नलिखित परिस्थितियों में ही अपास्त किया जा सकता है–

1. जहां परिवाद में वर्णित आरोप तथा साक्षीगण के कथन से बिल्कुल ही कोई अपराध कारित होना प्रकट नहीं होता,
2. जहां परिवाद में वर्णित कथन अंतर्निहित रूप से असंभावित हों तथा ऐसे कथनों के आधार पर कोई भी युक्तियुक्त ज्ञान रखने वाला व्यक्ति यह निष्कर्ष निकाल सके कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही का कोई आधार नहीं है,
3. जहां मजिस्ट्रेट द्वारा विवेक का प्रयोग, मनमाना किया गया हो, किसी साक्ष्य के आधार पर न किया गया हो अथवा ऐसे साक्ष्य पर आधारित हो जो सम्पूर्ण रूप से असंगत तथा अस्वीकार किये जाने योग्य हो,
4. जहां परिवाद किसी विधिक दृष्टि जैसे कि अभियोजन सहमति का अभाव इत्यादि के साथ प्रस्तुत किया गया हो।

16. **धारा–397 दं0प्र0सं0 यह प्रावधानित करती है–** (1) उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर स्थित किसी अवर दण्ड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को, किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है और ऐसा अभिलेख मंगाते समय निर्देश दे सकता है परीक्षा लम्बित रहने तक किसी दण्डादेश का निष्पादन निलम्बित और यदि अभियुक्त परिरोध में है तो उसे जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर छोड़ दिया जाये।

17. विधि व्यवस्था **चन्द्रबाबू बनाम राज्य (2015) 8 एस0सी0सी0 पेज 774,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दिया है कि धारा–397 दं0प्र0सं0 के तहत निगरानी, क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल विधि की दृष्टि पर किया जाना चाहिए, तथ्य के मूल्यांकन उन परिस्थितियों में तब किया जाना चाहिए जबकि निगरानीकर्ता के प्रति वस्तुतः अन्याय कारित हुआ हो।

18. विधि व्यवस्था **अंकित कपूर बनाम रमेश चन्द्र (2012)9 एस0सी0सी0 पेज 460** में यह व्यवस्था दिया गया है कि अवर न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्य के विपरीत हो, तात्विक साक्ष्य को उपेक्षित किया गया हो अथवा मनमाना मूल्यांकन किया गया हो वहां पर निगरानी न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है।

19. प्रस्तुत मामले में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में अभिकथित तथ्यों, परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादी का साक्ष्य अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 एवं परिवादी द्वारा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दाखिल प्रपत्रों जिनका उल्लेख इस पुनरीक्षण के पूर्व प्रस्तर में किया जा चुका है, के उपरान्त पुनरीक्षणकर्तागण को जरिये समन विचारण हेतु अंतर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट तलब किया गया है। वर्तमान प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय की उद्धृत विधि व्यवस्था में दिये गये किसी भी आधार का होना प्रकट नहीं होता है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है।

20. उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षणकर्तागण के पास दौरान विचारण यह विकल्प उपलब्ध रहेगा कि वह उपरोक्त तथ्यों के बाबत साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। पुनरीक्षण न्यायालय की अधिकारिता अत्यंत सीमित होती है तथा उपरोक्त तथ्य के बाबत विनिश्चयात्मक मत साक्ष्य के उपरान्त ही दिया जाना सम्भव है जो मात्र विचारण न्यायालय ही प्रदान कर सकता है।

21. उपरोक्त समस्त विवेचन के उपरान्त यह न्यायालय इस मत का है कि अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किये जाने में सारवान त्रुटि तथा अन्य अनियमितता कारित नहीं की गयी है। इस पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आक्षेपित आदेश दिनांकित 22.10.2010 में हस्तक्षेप किया जाना विधिक रूप से अपेक्षित नहीं है तथा पुनरीक्षण सारहीन है। तद्नुसार पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण सं0–369/2022 निरस्त की जाती है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 22.10.2010 पुष्ट किया जाता है।

पक्षों को आदेशित किया जाता है कि वे अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.10.2024 को उपस्थित हों।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति के साथ अवर न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब विद्वान अवर न्यायालय को वापस भेजें। दाण्डिक पुनरीक्षण की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(देवाशीष)
आई0डी0–यू0पी0 1596
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–02
बरेली।

दिनांक–01.10.2024

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(देवाशीष)
आई0डी0–यू0पी0 1596
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–02
बरेली।

दिनांक–01.10.2024

Digitally signed by DEVASHISH
Date: 2024.10.01 1[illegible]:44:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court